

नगर पालिका, सपोटरा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SAPOTRA/FIRENOC/2025-26/51510

जारी दिनांक: 06-JUN-2025

वैधता दिनांक:

05-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHREE KAILADEVI MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL KAILADEVI

आवेदक का पता: BARGAMA ROAD KAILADEVI DIST. KARALI RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE KAILADEVI SENIOR SCNDARY SCHOOL, 1, BARGAMA ROAD KAILADEVI, KAILADEVI, , KARALI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
2. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
3. रोप, लैंडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
6. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
7. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा, एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
8. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में कम से कम 2 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक होगा।
9. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
11. यदि राज्य सरकार या निकाय द्वारा भविष्य में कोई नियम व उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधन को मान्य होगा।
12. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
13. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
14. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, सपोटरा